आवेदनकर्ता द्वारा बिजनिस रजिस्ट्रेशन के आवेदन पत्र को भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश–

सम्पूर्ण आवेदन दो खण्ड (सेक्शन) में विभक्त है। इस आवेदन पत्र को अंग्रेजी में भरना है। लाल स्टार वाले कॉलम भरना आवश्यक है।

खण्ड–1:– बिजनिस के स्थान की पहचान का विवरण (सामान्य जानकारी)

जिला, चयन करने के बाद Area Type में Rural(ग्रामीण) /Urban(शहरी) इनमें से एक क्षेत्र का चयन करने पर Rural में तहसील एवं गांव के नाम का चयन करना होगा। Urban का चयन करने पर Town के नाम का चयन कर उसकी वार्ड संख्या लिखनी होगी। उक्त विवरण जहां बिजनिस स्थापित है/करना है के क्षेत्र का विवरण होना चाहिए। आईडी प्रुफ प्रकार में प्रतिष्ठान के मालिक/अधिवासी का आधार कार्ड/जन–आधार संख्या भरे जाने पर OTP number registered mobile पर आ जायेगा। इस OTP number को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर भरने पर जन–आधार/आधार कार्ड का प्रमाणीकरण् हो जाएगा तथा कार्ड में दी गई जानकारी आवेदन पत्र में आवेदक के विवरण में स्वतः प्रदर्शित हो जायेगी। जन–आधार में मुखिया के अलावा कोई अन्य व्यक्ति आवेदक है तो उसके नाम पर Click करने पर आवेदक की जानकारी स्वतः ही आवेदन पत्र में प्रदर्शित हो जायेगी। आधार/जन–आधार दोनों कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर आईडी प्रुफ के लिए पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेन्स में से किसी एक कार्ड की संख्या लिखकर सम्बन्धित आईडी की image upload करनी होगी। एवं यदि आईडी प्रूफ दोनों तरफ प्रिंटेड है तो दोनो तरफ की Image Upload करनी होगी।

खण्ड–2:– प्रतिष्ठान के पंजीकरण से संबंधित आवश्यक वांछित सूचना:–

कॉलम सं. 1:– यदि आवेदक द्वारा आधार/जन–आधार संख्या लिखी होगी तो उसमें दिया हुआ पूर्ण विवरण 1.1 से 1.4 में प्रदर्शित हो जावेगा जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि इनमें से कोई कॉलम रिक्त रहता है तो वह आवेदक द्वारा भरा जावेगा। आवेदक द्वारा अन्य आईडी संख्या देने पर वांछित सूचना कॉलम संख्या 1.1 से 1.4 में भरेगा। आवेदक, जिसकी Image Upload की है उसके हस्ताक्षर कॉलम संख्या 1.5 में अपलोड करने होंगे।

कॉलम सं. 2.:– प्रतिष्ठान/व्यवसाय के नाम एवं स्थान का पूर्ण विवरण कॉलम संख्या 2.1 से 2.9 में भरा जाना है।

कॉलम सं. 3 :– यदि प्रतिष्ठान/व्यवसाय का मुख्य कार्यालय/स्थान अन्यत्र हो तो, उसका पूर्ण विवरण कॉलम 3.1 से 3.9 तक आवश्यक रूप से भरा जाना है, अन्यथा इस कॉलम को रिक्त छोडा जावे।

कॉलम 2.1 से 2.9 एवं 3.1 से 3.9 तक भरने के निर्देश :–

कॉलम 2.1 एवं 3.1 :– प्रतिष्ठान/व्यवसाय का पूरा नाम लिखा जाना है जहाँ प्रतिष्ठान का नाम नहीं है, वहां मालिक/अधिवासी(अधिकार रखने वाला) का नाम लिखा जाएगा।

कॉलम 2.2 एवं 3.2 :– प्रतिष्ठान/व्यवसाय स्थान का मकान/शॉप/प्लॉट की संख्या जो आवंटित है भरी जानी है।

कॉलम 2.3 एवं 3.3 :– गली/सड़क प्रतिष्ठान/व्यवसाय जहां या प्रारम्भ करना है उसका नाम या नम्बर एवं सड़क किस नाम से नामित है का नाम लिखा जायेगा।

कॉलम 2.4 एवं 3.4 :– प्रतिष्ठान/व्यवसाय जिस क्षेत्र में स्थित है उसका पूर्ण नाम, कॉलोनी/मौहल्ले का नाम लिखा जावेगा।

कॉलम 2.5 एवं 3.5 :– प्रतिष्ठान/व्यवसाय जिस स्थान पर स्थित है या स्थापित करना है उस स्थान का पिनकोड पते के अनुसार भरा जावेगा।

कॉलम 2.6ए एवं 3.6एः–प्रतिष्ठान/व्यवसाय के स्थान का टेलीफोन नम्बर एसटीडी कोड़ सहित लिखना है।

कॉलम 2.6बी एवं 3.6बीः–मालिक/अधिवासी का मोबाइल नम्बर भरा जाना है।

कॉलम 2.7 एवं 3.7 :– प्रतिष्ठान/व्यवसाय का सही ईमेल लिखा जावे, अन्यथा मालिक/अधिवासी का ई–मेल लिखा जावे।

कॉलम 2.8 एवं 3.8 :– प्रतिष्ठान/व्यवसाय का पेन नम्बर भरा जाना है यदि प्रतिष्ठान का पेन नम्बर नहीं होतो मालिक/अधिवासी का पेन नम्बर भरे।

कॉलम 2.9 व 3.9 :– प्रतिष्ठान/व्यवसाय का टेन नम्बर भरा जाना है अर्थात् जिससे कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भुगतान से टी.डी.एस. काटा जाता है वह नम्बर भरे।

कॉलम 4 से 9 को भरने का विवरण

4. प्रतिष्ठान/व्यवसाय के मुख्य कार्य कलाप के लिए SECTION, DIVISION, GROUP का चयन करना है। चयन करने के पश्चात प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यकलाप एवं NIC Code इस कॉलम में स्वतः प्रदर्शित हो जायेगा।
5. वर्तमान स्वामित्व में जिस वर्ष से प्रतिष्ठान/व्यवसाय प्रारम्भ किया गया है वह वर्ष लिखा जाना है यदि प्रतिष्ठान/व्यवसाय प्रारम्भ नहीं किया गया तो not started पर click करना है।

6. यदि प्रतिष्ठान/व्यवसाय द्वारा वर्तमान में वार्षिक लेखे रखे जा रहे हैं या भविष्य में संधारित किये जायेंगे तो Yes पर क्लिक करना होगा अन्यथा No पर क्लिक करना होगा।
7. प्रतिष्ठान/व्यवसाय के स्वामित्व के अनुसार चयन करना है।
8. इस कॉलम में प्रतिष्ठान/व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या (वैतनिक व अवैतनिक सहित) मालिक सहित भरी जानी है यदि प्रतिष्ठान/व्यवसाय में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तो अनुमानित कितने कर्मचारी नियुक्त करने की सम्भावना है वह संख्या भरी जानी है।
9. इस कॉलम के क्रमांक 1 से 7 में अंकित अधिनियमों के सामने जिन–जिन अधिनियमों में प्रतिष्ठान को पंजीकृत कराना है उस अधिनियम के सामने वाले कॉलम मे सही का चिन्ह (✓) अंकित किया जावे।

    पुनश्चः यदि 31.08.2015 तक प्रतिष्ठान का पंजीकरण क्रमांक 1 से 7 तक में अंकित अधिनियमों में करवाया जा चुका है किन्तु बीआरएन (BRN) पोर्टल पर सर्च करने के पश्चात भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो ऐसे प्रतिष्ठान/व्यवसाय के मालिक/अधिवासी बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करने के लिए उपरोक्तानुसार आवेदन भरेगे एवं क्रमांक 1 से 7 में जिन–जिन अधिनियमों में उन्होनें पूर्व में पंजीकरण करवा रखा है उसकी पंजीकरण संख्या, पंजीकरण का वर्ष एवं उसकी वैधता की अवधि (जो पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई) अंकित की जानी होगी।
10. प्रतिष्ठान/व्यवसाय के सम्बन्ध में अन्य कोई विशेष विवरण दिया जाना हो तथा मुख्य कार्यकलाप के साथ–साथ अन्य कार्यकलाप भी किये जा रहे हों तो उस कार्यकलाप का विवरण अंग्रेजी में भरें।

समस्त पूर्ति करने के पश्चात् आवेदन पत्र Submit किया जाना है। उसके पश्चात आवेदक के रजिस्टर्ड Mobile पर SMS द्वारा BR No. प्राप्त होगा। आवेदक आवेदन का प्रिंट पोर्टल से प्राप्त कर सकता है।

बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं अद्यतन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

1. सामान्य :–

- आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने राज्य में नये स्थापित होने वाले एवं पूर्व में स्थापित प्रतिष्ठानों द्वारा बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर लेने के लिए एक अधिसूचना दिनांक 21.09.2016 को जारी की है। इस अधिसूचना के द्वारा राज्य के सभी जिलों में उप/सहायक निदेशक कार्यालयों में बिजनिस रजिस्ट्रेशन केन्द्र (BRC) स्थापित किये गये हैं।
- यह अधिसूचना राज्य में वर्तमान में भारतीय कम्पनी एक्ट–1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1/1956), फैक्ट्री एक्ट–1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63/1948), शॉप एवं कॉमर्शियल एस्टेबलिशमेंट एक्ट–1958, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1958, कॉपरेटिव सोसायटी एक्ट–2001, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006) आदि एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाले प्रतिष्ठानों/व्यवसायों पर भी प्रभावी रहेगी।
- इस अधिसूचना द्वारा पंजीकरण करने वाले प्राधिकारियों को यह अधिकार देती है कि वह आयोजना विभाग द्वारा विकसित/निर्धारित की गई व्यवस्था को लागू करने के लिए उनके विभाग में ऑनलाईन बिजनिस रजिस्टर से सम्बन्धित वेब सर्विस से लिंक होकर व्यवस्था को लागू करें। यदि उनके विभाग में ऑफ लाईन पंजीकरण कार्य हो रहा है तो वह अपने जिले के बिजनिस रजिस्ट्रेशन सेन्टर से निरन्तर सम्पर्क रखते हुए उनके विभाग के आवेदन पत्र में सामान्य सूचना एवं बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर का समावेश सुनिश्चित करावें।
- बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर 16 अंकों का एक विशिष्ठ नम्बर होगा। एक प्रतिष्ठान विभिन्न अधिनियमों में पंजीकृत होने पर भी उस प्रतिष्ठान का बिजनिस रजिस्टेशन नम्बर एक ही रहेगा।
- यह गतिशील बिजनिस रजिस्टर होगा जिसमें प्रतिष्ठानों की सूचना को अद्यतित किया जावेगा। यह समस्त कार्य ऑनलाईन होगा।

2. आवेदनकर्ता द्वारा बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा बिजनिस रजिस्ट्रेशन केन्द्र की भूमिका –

2.1 **उद्यमी/आवेदनकर्ता**– आवेदनकर्ता br.raj.nic.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकता है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लिखा होगा। इस पर Click करने पर आवेदनकर्ता को New BRN पर आधार/जन–आधार की संख्या भरनी होगी। रजिस्टर्ड मोबाईल पर OTP No. आयेगा OTP No. निर्धारित स्थान पर भरने पर आधार/जन–आधार नम्बर का प्रमाणीकरण हो जायेगा। इसके पश्चात आवेदन पत्र को भरने से सम्बंधित आवश्यक निर्देश को ध्यान में रखते हुए, आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरने के पश्चात Submit किये जाने पर BRN स्वसृजित हो जायेगा तथा इसका मेसेज आवेदन कर्ता के मोबाइल पर जायेगा। आवेदन कर्त्ता इस BRN का Print भी ले सकता है।

2.2 आवेदनकर्ता के पास आधार/जन–आधार नम्बर नहीं होने की स्थिति में अन्य आई डी प्रुफ जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आई डी में से किसी एक इमेज अपलोड करनी होगी। ऐसे आवेदनों को जिले के उप/सहायक

निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया जावेगा। इस प्रक्रिया में आवेदक के पास निम्नानुसार मेसेज जायेगाः–

Application ref. no……date…… released.

2.3 वर्तमान में बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर लेने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र में कॉलम संख्या 9.1 से 9.7 तक अंकित अधिनियमों में से जिस जिस अधिनियम में उद्यमी पंजीकरण करवाना चाहता है वह सम्बन्धित अधिनियम में (✔) सही का चिन्ह अंकित करेगा तथा बी.आर.एन. प्राप्त करेगा। ऐसी स्थिति में उद्यमी को एक ही बी. आर. एन. प्राप्त होगा। तत्पश्चात् वह सम्बंधित अधिनियम में पंजीकरण हेतु किये जाने वाले आवेदन पत्र के निर्धारित कालम में प्राप्त बी.आर.एन. का समावेश करेगा। इस बी.आर.एन. की पंजीकरण प्राधिकारी वेब पोर्टल पर जांच करेगा। बी.आर.एन. उपलब्ध होने पर पंजीकरण प्राधिकारी प्रतिष्ठान का पंजीकरण कर पंजीकरण संख्या वेब पोर्टल पर स्थित बी.आर.एन. आवेदन पत्र में निर्धारित कालम में अंकित करेगा।

2.4 दिनांक 31.08.2015 से पूर्व पंजीकृत प्रतिष्ठान बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर को देखने के लिए वेब पोर्टल br.raj.nic.in से search BRN → search by text (प्रतिष्ठान का नाम) या search by option (जिला / तहसील / स्वामित्व / अधिनियम वार एवं पंजीकरण संख्यावार) से आवंटित BRN की सूचियों का अवलोकन कर प्रतिष्ठान का BRN ज्ञात कर सकते है किन्तु यदि प्रतिष्ठान का BRN पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होता है तो बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर लेने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र को भरेगे। दिनांक 01.09.15 के पश्चात पंजीकृत प्रतिष्ठान के उद्यमी भी उक्त प्रक्रिया के माध्यम से बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त कर सकेंगे। कॉलम संख्या 9. 1 से 9.7 तक में अंकित अधिनियमों में से जिन–जिन अधिनियमों में उद्यमी द्वारा प्रतिष्ठानों के पंजीकरण नम्बर प्राप्त किये है, सम्बंधित अधिनियमों के कॉलमों में पंजीकरण नम्बर एवं वित्तीय वर्ष तथा अधिनियम द्वारा तय की गई वैधता की अवधि भी भरेंगे।

बिजनिस रजिस्ट्रेशन केन्द्र ऐसे पंजीकृत प्रतिष्ठान का वित्तीय वर्षवार रिकार्ड रखेगा।

2.5 कोई भी उद्यमी ऑफलाईन आवेदन पत्र भी कर सकता है। इसके लिए वह अपने जिले के बिजनिस रजिस्ट्रेशन केन्द्र में जाकर निर्धारित आवेदन पत्र, हार्ड प्रति में प्रस्तुत कर सकता है। बिजनिस रजिस्ट्रेशन केन्द्र उक्त आवेदन पत्र के आधार पर आई डी प्रूफ सहित ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर स्वसृजित बी.आर.एन. सम्बन्धित आवेदनकर्ता को दे देगा।

2.6 आवेदनकर्ता प्राप्त बी.आर.एन. के आधार पर संबंधित अधिनियम के पंजीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में विभाग के निर्धारित पंजीकरण आवेदन पत्र में बी.आर.एन. अंकित कर पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

2.7 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में बिजनिस रजिस्ट्रेशन केन्द्र बिजनिस रजिस्टर की हार्ड कॉपी में प्रति रखेगा।

3. अधिनियम से सम्बन्धित पंजीकरण प्राधिकारी की भूमिका –

3.1 अधिनियम से संबंधित विभाग के पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा आवेदक से बी.आर.एन. प्राप्त कर विभाग को प्राप्त समस्त आवेदन पत्र की कार्यवाही पूर्ण कर रजिस्ट्रेशन नम्बर वेब पोर्टल द्वारा सम्बंधित जिले के बिजनिस रजिस्ट्रेशन केन्द्र को प्रेषित करेगा।

3.2 जिन विभागों में ऑफलाईन पंजीकरण होता है वहाँ के पंजीकरण प्राधिकारी भी आवेदक से बी.आर.एन प्राप्त कर प्रतिष्ठान का पंजीकरण करने के पश्चात् प्रत्येक माह में पंजीकृत प्रतिष्ठानों की सूचना जिले के बिजनिस रजिस्टेशन केन्द्र को प्रेषित करेंगे।

उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर बिजनिस रजिस्टर ऑनलाईन अद्यतन होता रहेगा।

बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर के लिए भरे गये आवेदन पत्र में यदि कोई सूचना में परिवर्तन करना चाहे तो परिर्वतन के लिए सम्बन्धित बिजनिस रजिस्ट्रेशन केन्द्र पर सम्पर्क करना होगा।

4. अद्यतन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश –

4.1 बिजनिस रजिस्टर को अद्यतन करने की प्रक्रियाः–

बिजनिस रजिस्टर को अद्यतित बनाये रखने के लिए आवेदनकर्ता द्वारा जिस जिले से व्यवसाय/उद्यम का बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त किया है उस जिले से संबंधित बिजनिस रजिस्टर सेन्टर पर जाकर निम्नलिखित संशोधनों के कार्य हेतु सम्पर्क करना होगा।

(1) यदि उद्यम के पते में परिवर्तन करने पर आवेदनकर्ता को नवीन बी.आर.एन. प्राप्त कर पुराना बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर Cancel करवाना होगा।
(2) यदि आवेदनकर्ता उत्पादन/कार्य बंद करता है तो उसको बिजनिस रजिस्ट्रेशन केन्द्र को सूचित करना होगा और उसका बी.आर.एन. Cancel हो जाएगा।
(3) यदि उद्यम का विच्छेद हो जाता है तो आवेदनकर्ता बिजनिस रजिस्ट्रेशन केन्द्र को सूचित करेगा। उसका पुराना बी.आर.एन. Cancel होगा एवं दोनों आवेदनकर्ताओं को नवीन बी.आर.एन. के लिए आवेदन करना होगा।
(4) यदि दो उद्यम जुड़ते हैं तो उनके दोनों आवेदनकर्ताओं के पुराने बी.आर.एन. Cancel होंगे तथा नवीन बी.आर.एन. के लिए आवेदन करना होगा।
(5) यदि आवेदनकर्ताओं द्वारा उत्पादन/कार्यकलाप ने परिवर्तन किया जाता हैं तो उसकी सूचना बिजनिस रजिस्ट्रेशन केन्द्र को देनी होगी।